संलग्नक - 2

एनबीएसए द्वारा 3 मार्च, 2014 को "चुनाव प्रसारण के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश" :

i) समाचार प्रसारकों को प्रासंगिक या संबंधित चुनावी सामग्री, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, अभियान के मुद्दों के साथ-साथ उन मतदान प्रक्रियाओं के बारे में निष्पक्ष तरीके से जनता को सूचित करने का प्रयास करना चाहिए, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार तय की जाती हैं।

ii) समाचार चैनल किसी भी राजनीतिक संबद्धता, चाहे वह किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के प्रति हो, का खुलासा करेंगे। जब तक वे सार्वजनिक रूप से किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवार का समर्थन नहीं करते हैं, तब तक समाचार प्रसारकों का कर्तव्य है कि वे खासकर अपनी चुनावी रिपोर्टिंग में संतुलित और निष्पक्ष हों।

iii) समाचार प्रसारकों को अफवाह, आधारहीन अटकलों और दुष्प्रचार के सभी रूपों से बचने का प्रयास करना चाहिए, खासकर जब ये विशिष्ट राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों से संबंधित हों। किसी भी उम्मीदवार/राजनीतिक पार्टी, जिसे बदनाम किया गया हो या गलतबयानी या गलत सूचना का शिकार हुआ हो अथवा सूचना प्रसारण के जरिए इसी तरह के अन्यी आघात का सामना किया हो, को तत्कांल गलती सुधारनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।

iv) समाचार प्रसारकों को उन सभी राजनीतिक और वित्तीय दबावों का विरोध करना चाहिए जो चुनाव और चुनाव संबंधी मामलों की कवरेज को प्रभावित कर सकते हैं।

v) समाचार प्रसारकों को अपने समाचार चैनलों पर प्रस्तुनत किए गए संपादकीय और विशेषज्ञ राय के बीच स्पष्ट अंतर को बनाए रखना चाहिए।

(vi) ऐसे समाचार प्रसारक जो राजनीतिक दलों से प्राप्त दृश्य सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, वे उन्हें इसकी घोषणा करनी चाहिए और उसे समुचित रूप से चिन्हित करना चाहिए।

(vii) यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि चुनावों और चुनाव संबंधी सामग्रियों से जुड़े समाचारों/कार्यक्रमों का प्रत्येक हिस्सा घटनाओं, तिथियों, स्थानों और उद्धरणों से जुड़े सभी तथ्यों के अनुसार सही-सही हो। यदि गलती से अथवा असावधानी से कोई गलत सूचना प्रसारित हो जाए तो ऐसे में प्रसारक जिनता जल्दी संभव हो, संज्ञान मिलने के साथ ही, उसे शुद्ध करना चाहिए।

(viii) समाचार प्रसारकों, उनके पत्रकारों और अधिकारियों को कोई धन अथवा उपहार अथवा कोई अन्य प्रलोभन स्वीकार नहीं करना चाहिए, जिससे प्रसारक अथवा उनके कर्मचारी प्रभावित होते हैं अथवा प्रभावित होते दिखाई पड़ते हैं, हितों का कोई टकराव हो अथवा विश्वसनीयता प्रभावित हो।

(ix) समाचार प्रसारकों को किसी रूप में घृणा पैदा करना वाला वक्तव्य अथवा कोई आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित नहीं करना चाहिए, जिससे हिंसा फैले अथवा लोगों के बीच उपद्रव अथवा गड़बड़ी को बढ़ावा मिले, क्योंकि निर्वाचन कानूनों के तहत सामुदायिक अथवा जाति गत आधार पर चुनाव अभियान प्रतिबंधित है। समाचार प्रसारकों को ऐसी किसी भी रिपोर्ट को सख्ती के साथ अपनी समाचार सामग्री से दूर रखना चाहिए, जो धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, क्षेत्र अथवा भाषा के आधार पर लोगों के बीच शत्रुता अथवा घृणा की भावना को बढ़ावा देती हो।

(x) समाचार प्रसारकों के लिए यह जरूरी है कि वे स्पष्ट तौर पर 'समाचारों' और 'पेड कंटेंट' के बीच स्पष्ट अन्तर कायम रखें। पेड कंटेंट को स्पष्ट रूप से 'विज्ञापन' अथवा 'पेड कंटेंट' के रूप में चिन्हित करना चाहिए। ध्यान रहे कि पेड कंटेंट का प्रसारण भी दिनांक 24 नवम्बर, 2011 को जारी 'पेड न्यूज़ के बारे में जारी मानदंड और दिशा निर्देशों' के अनुसार करना चाहिए।

(xi) ओपिनियन पोल के बारे में रिपोर्ट करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वे सही और निष्पक्ष हो और दर्शकों के लिए इस बात का खुलासा होना चाहिए । इन ओपिनियन पोलों के लिए शुरूआत, संचालन और भुगतान किसने किये। यदि एक समाचार प्रसारणकर्ता एक जनमत सर्वेक्षण या अन्य चुनाव प्रक्षेपण के परिणामों को वहन करता है, तो उसे संदर्भ, और अपनी सीमा के साथ इस तरह के चुनावों का दायरा और सीमा भी समझानी होगी। मतदाताओं के मतदान के महत्व को समझने के लिए दर्शकों की सहायता के लिए जनमत सर्वेक्षण का प्रसारण जानकारी के साथ होना चाहिए, जैसे कि कार्यप्रणाली, नमूना आकार, त्रुटि का मार्जिन, फ़ील्डवर्क दिनांक और उपयोग किए गए डेटा। ब्रॉडकास्टर्स को यह भी बताना चाहिए कि वोट शेयर को सीट शेयरों में कैसे बदला जाता है।

(xii) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समापन के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान प्रसारक कोई भी ऐसी 'निर्वाचन सामग्री' का प्रसारण नहीं करेगा, जिसे जानबूझकर चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए प्रसारित किया गया हो।

(xiii) भारत निर्वाचन आयोग चुनावों की घोषणा के समय से लेकर उसकी समाप्ति और चुनाव परिणामों की घोषणा होने तक समाचार प्रसारकों द्वारा किये गए प्रसारणों निगरानी करेगा। सदस्य प्रसारकों द्वारा किसी प्रकार के उल्लंघन के बारे निर्वाचन आयोग की ओर से एनबीएसए को मिली शिकायतों पर नियमनों के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

(xiv) जहां तक संभव हो प्रसारकों को मतदान प्रक्रिया, मतदान का महत्व, मतदान का समय और स्थान, और मतपत्र की गोपनीयता के बारे में मतदाताओं को प्रभावी तौर पर शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाना चाहिए।

(xv) समाचार प्रसारकों को कोई अंतिम, औपचारिक और निश्चित परिणाम प्रसारित नहीं करना चाहिए जबतक की निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसे

परिणामों की औपचारिक घोषणा न की गई हो। तथापि ऐसे परिणामों को इस स्पष्ट घोषणा के साथ दर्शाना चाहिए की वे गैर-अधिकारिक अथवा अपूर्ण अथवा अनुमान पर आधारित हैं, जिन्हें अंतिम परिणामों के रूप में नहीं लेना चाहिए ।